"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्रमांक ई 01-01/2013/एक/2.—श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा.प्र.से. (सी.जी. 2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री जयप्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (सी.जी. 2010), अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर को केवल अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर के प्रभार हेतु जिले में पदस्थ किसी अन्य समकक्ष अधिकारी को अपने स्तर से पदस्थ करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 10-07/2013/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में स्थित उन समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है तथा जिनमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, को अपनी औद्योगिक स्थापनाओं में अधिनियम की धारा 3(1) (2) एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 38 के अंतर्गत कर्म समिति गठित किये जाने का निर्देश देती है.

औद्योगिक स्थापनाओं के नियोजकों द्वारा कर्म समिति गठित की जाकर उसकी प्रतिलिपि श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित जिलों के सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कार्यालय आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्रमांक 2270/वि-7/MGNREGA/2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. योजना में, जहां कहीं भी अंक एवं शब्द "100 दिवस" आया हो के स्थान पर, अंक एवं शब्द "150 दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. पैरा 5.2 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
"5.2.1. वित्तीय वर्ष में 50 दिवस के अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा."

No. 2270/वि-7/MGNREGA/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

1. In the scheme, for the figure and word "100 days" wherever they occur, the figure and word "150 days" shall be substituted.

2. After Para 5.2, the following shall be added, namely :—
"5.2.1. Additional cost for providing 50 days of additional employment in a financial year shall be borne by the State Government."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव.